कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर मंथन

- कर्नाटक में मंत्री पदों के लिए दौड़ हुई तेज
- 10 पदों के लिए 40 विधायक पहुंचे दिल्ली

बेंगलुरु/नई दिल्ली, 02 जून. कर्नाटक मंत्रिमंडल में महज उपलब्ध दस मंत्री पदों की होड़ में शामिल कांग्रेस के चालीस विधायकों ने नयी दिल्ली को राज्य की राजनीति का मुख्य केंद्र बना दिया है. इस कारण बुधवार को मनोनीत मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले लॉबिंग और उच्च स्तरीय विचार-विमर्श का दौर तेज हो गया है.

कांग्रेस आलाकमान की ओर से मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप दिया जाना हालांकि अभी बाकी है. ऐसे में 40 से अधिक विधायक नयी सरकार में शामिल होने का दावा ठोंकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं. दावेदारों की इस भारी भीड़ ने मंत्रिमंडल गठन की कवायद को पेचीदा बना दिया है. इससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें करने की नौबत आ गयी है. सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार का पहला चरण आठ से दस मंत्रियों तक ही सीमित रहने की संभावना है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीद लगाये बैठे नेताओं को निराशा हाथ लग सकती है और सत्तारूढ़ दल के भीतर प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है. मंत्रियों के पदों के लिए मचे इस घमासान ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को भी पीछे छोड़ दिया है. इस समय दिल्ली के होटल, गेस्ट हाउस और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आवास राजनीतिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र बने हुए हैं. निवर्तमान सरकार के कई पूर्व मंत्री अपने शासन के अनुभव और चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए दोबारा मंत्री पद की मांग कर रहे हैं.

> जहां निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के समर्थक उनके वफादारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं, वहीं समझा जाता है कि श्री शिवकुमार का खेमा नये चेहरों और उन नेताओं को शामिल करने की वकालत कर रहा है, जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के दौरान उनका साथ दिया था. अब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातिगत समीकरणों, सामुदायिक हितों और गुटीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला पर आ गयी है. उम्मीद है कि मंत्रियों की पहली सूची को मंजूरी देने से पहले ये नेता महत्वपूर्ण विचार-विमर्श करेंगे.

केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर उठाया सीबीएसई ट्रांसफर का सवाल

नई दिल्ली, 02 मई. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को ट्रांसफर करके मोदी सरकार ने लाखों बच्चों और उनके माता-पिता के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है.

केजरीवाल ने लिखा कि मोदी जी ने चुनौती दी है कि शिक्षा मंत्री नहीं बदला जाएगा और जो करना है कर लो. उन्होंने इस कदम को शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हितों के खिलाफ बताया. इसके अलावा, केजरीवाल ने पंजाब की हालिया घटनाओं पर भी टिप्पणी की.

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)

क्र. / मंडी/ बीओटी /2026-27 / 82 आलोट, दिनांक :- 01/06/2026

/ / निविदा आमंत्रण सूचना / /

कृषि उपज मण्डी समिति आलोट द्वारा ई-बिडिंग / टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौलाकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक 24/06/2026 को 5.30 pm तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल hhtt://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। स्थापित किये जाने वाले तौलकांटा हेतु विवरण अग्रलिखित अनुसार हैः-

सिस्टम टेण्डर क्र.	इलैक्ट्रोनिक तौल कांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रु.)	धरोहर राशि रु.	निविदा प्रपत्र की कीमत
2026_MPSAM _511928	मंडी प्रांगण आलोट	10 मे.टन	25000.00	85800.00	5000.00

नोटः- उपरोक्त निविदा सूचना के संबंध में किसी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार ऑनलाईन पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

प्रकाश कुमार पंवार
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति आलोट

रचना शर्मा
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति आलोट

कार्यालय कलेक्टर, जिला-खण्डवा

:: विज्ञप्ति ::

मामला क्रमांक 90-अ-59 / 2024-25 दिनांक 18/05/2026
ग्राम खण्डवा तरफ मानकर तहसील खण्डवा 10082

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आयुक्त नगर पालिका निगम खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक ज.का.उ.वि./2026/41, दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है. कि अमृत 2.0 योजना अंतर्गत खण्डवा शहर में सिवरेज योजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है उक्त योजना में शहर के विभिन्न स्थानों पर पम्पिंग स्टेशन एवं सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट का निर्माण होना हैं, इस हेतु STP-2 (रामनगर से आगे) ख.न. 22 रकबा 1.23 हेक्टेयर भूमि रा.प्र.क. 90-अ-59 / 2024-25 आदेश दिनांक 31.10.2025 से आवंटित की गई थी। वर्तमान में उक्त भूमि पर STP-2 का निर्माण तकनीकी कारणों से नहीं किया जा रहा है, अतः उक्त आवंटित भूमि पर STP-2 के स्थान पर श्वान आश्रय स्थल एवं गौ शवदाह स्थल निर्माण प्रयोजन हेतु आदेश संशोधित किये जाने का अनुरोध किया है।

2- अतः आयुक्त नगर पालिका निगम खण्डवा नगरीय प्रशासन विभाग को ग्राम खण्डवा तरफ मानकर खण्डवा चिराखान तहसील खण्डवा स्थित आवंटित भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 1.23 हेक्टेयर अर्थात 12300 वर्गमीटर का प्रयोजन STP-2 के स्थान पर श्वान आश्रय स्थल एवं गौ शवदाह स्थल निर्माण स्थापित किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में नियत दिनांक 08/06/2026 को न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली दावा / आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञप्ति आज दिनांक 18/05/2026 को हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)

(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.- जी 11)

क्रमांक/ 274 /अकरी/2026 इंदौर दिनांक 25/5 /2026
प्रकरण क्र./92/ब-121/2026-27

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,
(1) श्रीमती आरती त्रिवेदी
(2) श्री विजयलक्ष्मी त्रिवेदी,
पताः- फ्लैट/शॉप नं. 102, पहली मंजिल, श्री लक्ष्मी नारायण काम्प्लेक्स स्थित प्लाट क्र. 45-A, शिव विलास पैलेस, महात्मा गाँधी मार्ग, जिला इंदौर (म.प्र.) 452002

द्वाराः- पेपर प्रकाशन ।

-- 00 --

प्राधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लि. तर्फे अधिकृत व्यक्ति रजिस्टर्ड कार्यालय - यूनिट नं. 103, पहली मंजिल, सीबी चौराहा, संगम काम्प्लेक्स, CST Bo. 95A, 127 अंधेरी कुर्ला रोड, गाँव चकला, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई शाखा कार्यालय - 124, शगुन टावर, अपना स्वीट्स के ऊपर, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) - 452001 द्वारा आवेदन कर निवेदन किया गया हैं कि बंधक संपत्ति का पता फ्लैट/शॉप नं. 102, पहली मंजिल, श्री लक्ष्मी नारायण काम्प्लेक्स स्थित प्लाट क्र. 45-A, शिव विलास पैलेस, महात्मा गाँधी मार्ग, जिला इंदौर (म.प्र.) 452002 पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं । अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे । अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 08/6 /2026 को दोपहर 03:00 बजे होगी । आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें । आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

धामी से मंत्री दिलावर ने शिष्टाचार भेंटकर की चर्चा

देहरादून 02 जून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास में मंगलवार को राजस्थान सरकार में स्कूल शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिष्टाचार भेंट की. शिष्टाचार भेंट के दौरान श्री धामी और श्री दिलावर के बीच शिक्षा, पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था, ग्रामीण विकास तथा स्थानीय स्वशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के विषयों पर भी चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालयी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने तथा पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति आज आएंगी भारत

नई दिल्ली. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए बुधवार से पांच दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं.

सुश्री रोड्रिगेज को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक जून को यहां इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट में भाग लेने के लिए भारत आना था लेकिन अफ्रीकी देशों में बनी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इस सम्मेलन को टाल दिया गया था.

सौदा निरस्ती की जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार **श्रीमती निर्मला चौबे पति स्व. श्री सुनील कुमार चौबे,** एवं श्री अश्विन चौबे पिता स्व. श्री सुनील कुमार चौबे, दोनो निवासी- 162 - के, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर (म.प्र.) के द्वारा स्वंय के स्वामित्व एवं आधिपत्य का **मकान क्रमांक 84-162, न्यू मकान क्रमांक 206, वार्ड नंबर 10, बाणगंगा, तह. मल्हारगंज, जिला इंदौर** (म.प्र.) जिसकी साईज 15 बाय 45 कुल 700 वर्गफीट है, को विक्रय करने का अनुबंध **श्री नितिन शुक्ला पिता श्री कैलाशचन्द्र शुक्ला, निवासी- 94, दुर्गा भवन, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर (म. प्र.)** के साथ किया गया होकर बयाना राशि रुपये 11,00,000/- प्राप्त किये गये थे। किंतु व्यक्तिगत कारणो से उक्त सौदे को आपसी सहमति से निरस्त कर दिया गया होकर प्राप्त की गई बयाना राशि भी हमारे पक्षकार के द्वारा क्रेता को लौटा दी गई थी। उक्त सौदा निरस्त किया जाता है। सो विदित हो। दिनांक : 02/06/2026

Kamlesh Jaiswal
Advocate
Add.:- Office No. 51, I Floor,
4- Kacchi Mohalla, R.S.D.
China Town Building, Indore (M.P.)
Mob. 98270-47882, 78692-59111

कार्यालय नगर परिषद् कुकड़ेश्वर, जिला नीमच (म. प्र.)

पृ. क्रमांक / 929 / ई - निविदा / 2026 कुकड़ेश्वर, दिनांक 29.05.2025

/ / निविदा आमंत्रण सूचना / /

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीय ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली से पंजीकृत समस्त ठेकेदरों विक्रेता / सप्लायर से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.gem.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	विड क्र. एवं जारी दिनांक	कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य की समयावधि	अमानत राशि	निविदा की अंतिम तिथि
1	GEM/2026/B/7600278 दिनांक 29/05/2026	Trector With Loader Mounted backhoe assembly	180 Days	50000.00	29/06/2026
2	GEM/2026/B/7599949 दिनांक 29/05/2026	100 litres designer dustbin (Waste Container- 20 No.)	90 Days	10000.00	13/06/2026

नोटः निविदा में किसी भी के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन WWW.GEM.GOV.IN को बेवसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

(श्रीमती उर्मिला महेन्द्र पटवा)
अध्यक्ष
नगर परिषद, कुकड़ेश्वर

(कमलसिंह परमार)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, कुकड़ेश्वर

युद्धविराम का उल्लंघन पूरे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा : अराघची

तेहरान 02 जून. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्धविराम का किसी भी एक मोर्चे पर उल्लंघन पूरे युद्धविराम समझौते का उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है।

श्री अराघची ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह युद्धविराम बिना किसी अस्पष्टता के सभी मोर्चों पर लागू एक व्यापक युद्धविराम है, जिसमें लेबनान भी शामिल है. उन्होंने लिखा, इस युद्धविराम का किसी एक मोर्चे पर किया गया कोई भी उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्धविराम के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालयः "चोला क्रेस्ट", सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु. वी. का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032.

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना (प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना)

आपको, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आपके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है और अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत पंजीकृत डाक द्वारा आपको भेजा गया नोटिस (उधारकर्ता/उधारकताओं के लिए देय) अप्राप्य लौटा है। अतः, आपसे अनुरोध है कि आप इस सूचना को ध्यान में रखते हुए उक्त खाते में उल्लिखित बकाया ऋण राशि का ब्याज सहित भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर दें। ऐसा न करने पर कंपनी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित सुरक्षा को लागू करके ब्याज और लागत सहित अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि यह नोटिस कंपनी के लिए उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपको संबोधित किया गया है।

स.क्र. 1: ऋण खाता संख्या TL01IND0000060652, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का नाम और पता 1. शिवशक्ति मेडिकल एजेंसीज, (उधारकर्ता) अपने मालिक के माध्यम से, दुकान संख्या/प्लॉट संख्या 01, नई आबादी, वार्ड संख्या 04, पुराना बस स्टैंड के पीछे, धामनोद, तहसील - धरमपुर, जिला - धार - 454552। साथ हीः सर्वे संख्या 18/2/2/23, पटवारी हल्का संख्या नया 25, पुराना 27, वार्ड संख्या पुराना 08 नया 10, सती विहार कॉलोनी, बस्ती संख्या 221, ग्राम - धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार - 454552 में स्थित मकान। 2. चंदन कुमार विश्वकर्मा, (सह-उधारकर्ता) 3. ज्योति विश्वकर्मा, (सह-उधारकर्ता) क्रमांक 2 और 3 का पताः वार्ड संख्या 10, मुक्तानंद परिसर, धामनोद, तहसील - धरमपुर, जिला - धार - 454552। साथ ही, सर्वे संख्या 18/2/2/23, पटवारी हल्का संख्या नया 25, पुराना 27, वार्ड संख्या पुराना 08 नया 10, सती विहार कॉलोनी, सेटलमेंट संख्या 221, ग्राम - धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार - 454552 में स्थित मकान का भी पता। ऋण राशिः 1,14,00,000/- रुपये, मांग नोटिस की तिथिः 21.05.2026, बकाया राशिः 1,14,89,630/- 13.05.2026 तक, साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित (एनपीए) तिथिः 06.04.2026।

अचल संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति का पताः पी.एच. क्रमांकः नया 79, पुराना 25/27, सर्वेक्षण क्रमांकः 18/2/2/23, वार्ड क्रमांकः पुराना 08, नया 10, सती विहार कॉलोनी, बस्ती क्रमांकः 221, ग्राम धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार 454552, मध्य प्रदेश। भूमि क्षेत्रफलः 30 x 35 = 1050 वर्ग फुट (97.583 वर्ग मीटर)। यह संपत्ति श्री नरेश कुमार रामचंदानी, पुत्र श्री दयालदास रामचंदानी द्वारा चंदन कुमार विश्वकर्मा को बेची गई है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः सड़क, पश्चिमः योगेश का घर, उत्तरः सुनील वर्मा का घर, दक्षिणः सड़क।

स.क्र. 2: ऋण खाता संख्या TL01IND0000062132, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का नाम और पता 1. मारुति ट्रेडर्स (उधारकर्ता) अपने मालिक के माध्यम से, 2. भागचंद जाट (सह-उधारकर्ता), 3. रेखा जाट (सह-उधारकर्ता)। सभी का पता हैः 170, सर्वे संख्या 311, जेतपुरा मेन रोड, जेतपुरा, धार, मध्य प्रदेश -454001, ऋण राशिः 88,50,000/- , मांग नोटिस की तिथिः 18.05.2026, बकाया राशिः 89,65,531/- दिनांक 08.05.2026 तक, साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित, एनपीए तिथिः 06.05.2026।

अचल संपत्ति की अनुसूचीः मकान संख्या 170, पी.एच.एन. 13/65, ग्राम जेतपुरा तहसील एवं जिला धार (मध्य प्रदेश) का वह पूरा भूखंड, कुल क्षेत्रफल 2640 वर्ग फुट, निम्नलिखित सीमाओं से घिरा हुआ हैः पूर्वः रमेश जाट का मकान और आम रास्ता, पश्चिमः शैलेंद्र का आम रास्ता, उत्तरः माता धनवंती की स्वयं की संपत्ति, दक्षिणः सुरेश नाई की संपत्ति और फिर 4 फुट का आम रास्ता।

स.क्र. 3: ऋण खाता संख्या TL01BPL0000062692, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का नाम और पता 1. साई किराना, (उधारकर्ता) अपने मालिक के माध्यम से, खातेगांव, 04, बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खातेगांव, देवास, मध्य प्रदेश - 455336। अन्य पतेः भूमि सर्वेक्षण संख्या 150/2, ग्राम बरछा बुजुर्ग, पटवारी हल्का संख्या 24, तहसील खातेगांव, देवास - 455336। अन्य पतेः दुकान संख्या 13, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड नगर परिषद, खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455 336। अन्य पतेः दुकान संख्या 04, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड नगर परिषद, खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455 336। 2. राधेश्याम कलोटा, (सह-उधारकर्ता), 3. सुनीताबाई, (सह-उधारकर्ता) क्रमांक पताः 159, बरछा बरछाबुजुर्ग, देवास - 455336; इसके अलावाः ग्राम बरछा बुजुर्ग का भूमि सर्वेक्षण संख्या 150/2, पटवारी हल्का संख्या 24, तहसील खातेगांव, देवास - 455 336; इसके अलावाः दुकान संख्या 13, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड नगर परिषद, खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455 336; इसके अलावाः दुकान संख्या 04, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड नगर परिषद, खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455 336 ऋण राशिः 77,50,000/- रुपये, मांग नोटिस की तिथिः 18.05.2026, बकाया राशिः 78,81,264/-, 08.05.2026 तक, साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित, एनपीए की तिथिः 06.05.2026।

अचल संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति - 1ः सर्वेक्षण संख्या 150/2 (सर्वेक्षण संख्या 150 का भाग) ग्राम बरछूजुर्ग, पी.एच. संख्या 58 (पुराना 24), तहसील खाटेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश का संपूर्ण भाग। कुल भूमि क्षेत्रफल 0.0500 हेक्टेयर। सीमाएँः पूर्व में रास्ता, पश्चिम में जगराम पुत्र कालू और मल्लु पुत्र बोंदर की भूमि, उत्तर में हीरालाल पुत्र रामकिशन की भूमि, दक्षिण में कैलाश पुत्र मंगिलाल और राधेश्याम की भूमि।
संपत्ति - 2ः बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वार्ड संख्या 13, खाटेगांव, तहसील खाटेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश में स्थित दुकान संख्या 04 का संपूर्ण भाग। क्षेत्रफल 10x20=200 वर्ग फुट। (18.58 वर्ग मीटर) सीमाएँः पूर्व में दीपक कुमार अग्रवाल की दुकान, पश्चिम में गणेश प्रसाद यादव की दुकान, उत्तर में सरकारी सड़क, दक्षिण में बस स्टैंड रोड। संपत्ति - 3ः दुकान संख्या 13 का पूरा भाग, जो बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वार्ड संख्या 13, खातेगांव तहसील, जिले देवास, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल 1221=252 वर्ग फुट (23.42 वर्ग मीटर) सीमाएँः पूर्व में गोविंद प्रसाद मीना की दुकान, पश्चिम में सरदारी दुबे की पत्नी काशीबाई का घर, उत्तर में सरकारी सड़क, दक्षिण में सीढ़ी और सड़क।

स.क्र. 4: ऋण खाता संख्या TL01IND0000067742, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का नाम और पता, 1. माँ गायत्री बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, (उधारकर्ता) अपने मालिक के माध्यम से, 102, हाईटेक टावर, प्लॉट संख्या 196, योजना संख्या 94, एफबी रिंग रोड, इंदौर-452018, पताः मकान/प्लॉट संख्या 05 - 06, सर्वे संख्या 190/2/1, बिचोली मर्दाना, 17/5 पारसी मोहल्ला छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001, 2. संदीप राठौर, (सह-उधारकर्ता) 3. जयश्री संदीप राठौर, (सह-उधारकर्ता) क्रमांक पताः मकान संख्या 84, ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन कॉलोनी, गांव पिपलियाहाना, इंदौर जीपीओ, इंदौर - 452 001। साथ ही पताः मकान/प्लॉट संख्या 05-06, सर्वे संख्या 190/2/1, बिचोली मदार्ना, 17/5 पारसी मोहल्ला छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452 001, ऋण राशिः 1,02,00,000/-, मांग नोटिस की तिथिः 18.05.2026, बकाया राशिः 1,04,96,851/-, 13.05.2026 तक, साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित, एनपीए तिथिः 06.04.2026।

अचल संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति 1ः मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के कनाडिया तहसील के बिचोली मदार्ना गांव में प्लॉट/मकान संख्या 05, भूमि सर्वेक्षण संख्या 190/2/1 पर स्थित संपत्ति, भूमि रकबा = 650 वर्ग फुट 60.40 वर्ग मीटर, श्रीमती निशा शर्मा पत्नी श्री विनय शर्मा द्वारा श्री संदीप राठौर पुत्र श्री ताराचंद राठौर को बेची गई। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः 190/2/2 की भूमि, पश्चिमः 190/2/1 की शेष भूमि से निकलने का मार्ग, उत्तरः 190/2/1 की शेष भूमि, दक्षिणः 190/2/1 की शेष भूमि। संपत्ति 2ः मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के इंदौर जिले के बिचोली मदार्ना गांव में प्लॉट/मकान संख्या 06, भूमि सर्वेक्षण संख्या 190/2/1 पर स्थित संपत्ति। इंदौर, मध्य प्रदेश, रकबा भूमि = 650 वर्ग फुट (60.40 वर्ग मीटर), श्रीमती निशा शर्मा पत्नी श्री विनय शर्मा द्वारा श्री संदीप राठौर पुत्र श्री ताराचंद राठौर को बेची गई। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः 190/2/2 का शेष भाग, पश्चिमः 190/2/1 के शेष भाग से निकलने का मार्ग, उत्तरः 190/2/1 का शेष भाग, दक्षिणः 190/2/1 का शेष भाग।

स.क्र. 5: ऋण खाता संख्या TL01IND0000063990, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम और पता, 1. मैसर्स. नागमणि टूर एंड ट्रेवल्स, (उधारकर्ता) कहार मोहल्ला नागेश्वर धामनोद, धरमपुरी, धार मध्य प्रदेश ना धार मध्य प्रदेश -454 552. 2. श्री जितेंद्र जयसवाल, (सह ऋणकर्ता) 3. श्रीमती पुष्पा जयसवाल, (सह ऋणकर्ता) क्र.सं. 2 और 3 का पताः 109 दहिवार मार्ग, वार्ड 11, कहार मोहल्ला, धामनोद, धार, मध्य प्रदेश - 454 552, ऋण राशिः 1,53,00,000/-, मांग नोटिस की तिथिः 27.04.2026, बकाया राशिः 1,57,54,228/- 14.02.2026 तक, साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित, एनपीए की तिथिः 06.02.2026।

अचल संपत्ति की अनुसूचीः मद संख्या 1ः श्री श्याम वाटिका (भूमि सर्वेक्षण संख्या 26/1, 27/1, 27/2, 27/3, 18/3/1/2/74) में प्लॉट संख्या 69 पर निर्मित आवासीय मकान का वह भाग और अंश, जो धामनोद तहसील, धर्मपुरी, जिला धार, मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल प्लॉट क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट (74.34 वर्ग मीटर)। सीमाएँः पूर्व- कॉलोनी रास्ता, पश्चिम- प्लॉट संख्या 77, उत्तर प्लॉट संख्या 68, दक्षिण तकझारे जी का प्लॉट/मकान संख्या 70। मद संख्या 2ः सुभाषचंद्र वार्ड संख्या 11, नया नंबर 13, पटवारी हल्का नंबर 25, पुराना नंबर 27, सेटलमेंट नंबर पर स्थित आवासीय प्लॉट सर्वेक्षण संख्या 405/1/1 का वह भाग और अंश। 221 डेबर मार्ग, धामनोद तहसील धरमपुरी जिला में स्थित है। धार, म.प्र. कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1600 वर्ग. फुट. (148.69 वर्ग मीटर) सीमाएँः पूर्व-नीरज की भूमि, पश्चिम-विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर-सामान्य सड़क, दक्षिण-बसंती बाई का घर।

दिनांकः 03.06.2026
स्थानः इन्दौर

अधिकृत अधिकारी
चोलमंडालम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकृत अधिकारी हैं। शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-03-2026 को संख्या 103041547395 के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को तलब किया गयाः 1. श्री अर्जुन पुत्र श्री नागु सिंह (ऋणकर्ता) ग्राम पिपलोदा सगोतिमाता, डाकघरः पिपलोदा बागला, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456337; 2. श्री नागु सिंह पुत्र श्री राय सिंह (सह-ऋणकर्ता) ग्राम पिपलोदा सगोतिमाता, डाकघरः पिपलोदा बागला, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456337; 3. श्रीमती रुशाल कुंवर पत्नी नागु सिंह (सह-ऋणकर्ता/बंधककर्ता) ग्राम पिपलोदा सगोतिमाता, डाकघरःपिपलोदा बागला, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456337 को उक्त सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करना था। उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उधारकर्ता(कों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जून, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता(कों) को विशेष रूप से और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिस पर 8,70,000/- (आठ लाख सत्तर हजार मात्र) और उस पर ब्याज लगेगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरणः

संपत्ति पर समतुल्य बंधकः आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 910 वर्ग फुट और 84.57 वर्ग मीटर है, संपत्ति मकान संख्या 46 (पुराना) 00087 (नया), सर्वेक्षण संख्या 1290, मकान संख्या 175, वार्ड संख्या 06, ग्राम पिपलोदा सगोतिमाता, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण संख्या MP43172024A11227837, दिनांक 10-10-2024 को पंजीकृत। श्रीमती रुशाल कुंवर पत्नी नागु सिंह के नाम पर।

सीमाएँः

पूर्व	विक्रम सिंह का घर	पश्चिम	सार्वजनिक सड़क
उत्तर	गुमान सिंह का घर	दक्षिण	कैलाश जी का घर

दिनांकः 01.06.2026 — Sd/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नोएडा — शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE — Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोनः 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछहै आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भौतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी / गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूलय	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC23-24018319, श्री भेरू लाल उर्फ भेरू सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह (ऋणी), श्रीमती सावित्रा बाई (सह-ऋणी), श्री गोविंद कराड़ा (गारंटर)	18-04-2025 Rs. 8,43,616.00 आठ लाख तियालीस हजार छः सौ सोलह रूपये मात्र 11.04.2025 तक भौतिक कब्जा 26.05.2026	श्री भेरू लाल उर्फ भेरू सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित पी. एच. नं. 35, भूमि के भाग सर्वे नं. 202, ग्राम यशवंतगढ़, ग्राम पंचायत दिलोदरी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456665, क्षेत्रफल 2550.00 वर्गफीट	Rs. 22,95,000/- बाईस लाख पिचानवे हजार रुपये मात्र	Rs. 2,29,500/- दो लाख उनतीस हजार पांच सौ रुपये मात्र	Rs. 10,48,263.94 दिनांक 28.05.2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017
(ऋण खाता संख्या) LN20041BT23- 24017026 एवं LN20041TU24-25021007, श्री रामचंदर पुत्र श्री रायसिंह (ऋणी), श्रीमती विलमकुंवर बाई पत्नी श्री रामचंदर आर (सह-ऋणी)	16-05-2025 Rs. 6,76,037.00 छः लाख छिहत्तर हजार सैंतीस रूपये मात्र एवं Rs. 4,66,490.00 चार लाख छियासठ हजार चार सौ नब्बे रूपये मात्र 12.05.2025 तक भौतिक कब्जा 26.05.2026	श्रीमती विलमकुंवर बाई की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित पी. एच. नं. 03, वार्ड नं. 05, प्लॉट नं. 05, ग्राम डोबड़ा गुर्जर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456665, क्षेत्रफल लगभग 1800.00 वर्गफीट	Rs. 11,76,000/- ग्यारह लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र	Rs. 1,17,600/- एक लाख सत्रह हजार छः सौ रुपये मात्र	Rs. 8,24,727.38 एवं Rs. 5,79,278.70 दिनांक 28.05.2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC22-23007711 एवं LN20041HE21-22006540, श्री भंवर लाल पुत्र श्री मांगी लाल (ऋणी), श्रीमती सौरम बाई पत्नी श्री भंवर लाल (सह-ऋणी)	15-09-2025 Rs. 7,87,576.00 सात लाख सत्तासी हजार पांच सौ छिहत्तर रूपये मात्र एवं Rs. 18,38,220.00 अट्ठारह लाख अडतीस हजार दो सौ बीस रूपये मात्र 08.09.2025 तक भौतिक कब्जा 27.05.2026	श्री भंवर लाल पुत्र श्री मांगी लाल एवं श्रीमती सौरम बाई पत्नी श्री भंवर लाल की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित पी. एच. नं. 85, भूमि के भाग सर्वे नं. 259/3, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रायपुरा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456550, क्षेत्रफल लगभग 4575 वर्गफीट	Rs. 47,06,000 सैंतालीस लाख छः हजार रुपये मात्र	Rs. 4,70,600/- चार लाख सत्तर हजार छः सौ रुपये मात्र	Rs. 8,68,275.08 एवं Rs. 20,57,436.84 दिनांक 28.05.2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017

नीलामी दिनांक 03.07.2026, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 01.07.2026, सायं 5:00 बजे तक, निरीक्षण की दिनांक एवं समय 30.06.2026 (कार्यालय समय मे)

निविदा की शर्तें :-
(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किऐ जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। (2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी। (4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
नोटः-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8(6) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।

दिनांकः 02-06-2026
स्थानः उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

एमबी पॉवर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी), भोपाल ने आदेश दिनांक 29.05.2026 के अनुसार याचिका क्रमांक 04/2026 में एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में स्थित अनुपपुर ताप विद्युत परियोजना का वित्तीय वर्ष 2024-25 का उत्पादन दर तथा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम (''एफजीडी'') के लिए पूरक टैरिफ का सत्यापन किया है।

आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक क्षमता प्रभार का सारांश निम्नानुसार है: (रूपये राशि करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	आदेश में निर्धारित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक क्षमता प्रभार
1	अंशपूंजी पर प्रतिलाभ	462.12
2	अवमूल्यन/अवक्षयण	398.72
3	ऋण पर ब्याज और वित्त प्रभार	236.05
4	प्रचालन तथा संधारण व्यय	319.00
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	106.53
6	कुल वार्षिक क्षमता प्रभार	1522.42
7	**कम :** गैर-टैरिफ आय	1.33
8	शुद्ध वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार	1521.10
9	**स्थापित क्षमता के 30% से संबंधित वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार**	**456.33**

आयोग द्वारा निर्धारित पूरक वार्षिक क्षमता प्रभार का सारांश निम्नानुसार है: (रूपये राशि करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	आदेश में निर्धारित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक क्षमता प्रभार
1	अंशपूंजी पर प्रतिलाभ	37.59
2	अवमूल्यन/अवक्षयण	43.56
3	ऋण पूंजी पर ब्याज	60.51
4	प्रचालन और संधारण व्यय	14.71
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	3.64
6	पूरक वार्षिक क्षमता प्रभार	160.02
7	स्थापित क्षमता के 30% से संबंधित पूरक वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार	48.00
8	संचालित दिनों की संख्या	304
9	**स्थापित क्षमता के 30% से संबंधित पूरक वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार संचालित दिनों की संख्या के लिए**	**39.98**

उपरोक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 29.05.2026 के अनुच्छेद 173-178 के अनुसार, आयोग ने अन्य व्यय/शुल्कों की भी वसूली की अनुमति दी है। विस्तृत आदेश वेबसाइट www.mperc.nic.in पर उपलब्ध है।

अभिषेक गुप्ता
उपाध्यक्ष
एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड

दिनांक : 30.05.2026